प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 22.07.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 105/2022 धारा 452/323/324/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास कुल 63,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 02.03.2025 को वादिया रुची पत्नी रविन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला प्रगति नगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नवीन पुत्र धर्मपाल 2. पूजा पत्नी नवीन व 3.सविता पत्नी पवन कुमार निवासी मौहल्ला प्रगति बिहार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच, मारपीट की व जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग दिए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 105/2022 धारा 452/323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.07.2225 को मा0 न्यायालय A.D.J. I द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2022 धारा 452/323/324/504/506 भादवि के अभियुक्तगण नवीन, पूजा व सविता उपरोक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास कुल 63,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1.नवीन पुत्र धर्मपाल निवासी मौहल्ला प्रगति बिहार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.पूजा पत्नी नवीन निवासी मौहल्ला प्रगति बिहार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.सविता पत्नी पवन कुमार निवासी मौहल्ला प्रगति बिहार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 22.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 620/25 धारा 74/115(2)/352/351(2)/64 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.07.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. अंकुश पुत्र ऋषिपाल (देवर) 2.ऋषिपाल (ससुर) 3. निर्मला पत्नी ऋषिपाल (सास), वादिया को परेशान करते है तथा वादिया के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करते है। दिनांक 27.05.2025 को वादिया के देवर अंकुश ने गलत काम करने का प्रयास किया तथा बात न मानने पर बच्चो को मारने की धमकी देता है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 620/25 धारा 74/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 22.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अंकुश पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अंकुश पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुश उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 620/25 धारा 74/115(2)/352/351(2)/64 बीएनएस थाना को0शहर बिजनौर
2.मु0अ0सं0 245/22 धारा 323/498ए भादवि व धारा 3/4 दहेज अधि0 थाना को0शहर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 छविनाथ सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी 850 नीरज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 368 आकाश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 22.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 618/25 धारा 109(1)/3(5)/351(2)/115(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तो को अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.07.2025 को वादी हरदीप सिंह पुत्र तेजवीर सिंह निवासी डहार थाना सरूरपुर खुर्द जनपद मेरठ ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 18–07–2025 को जब वह बैराज रोड की तरफ से बिजनौर आ रहा था तभी रास्ते में एक युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर खड़ा होकर एक लड़की से बातचीत कर रहा था। वादी द्वारा टोके जाने पर युवक ने नाराज होकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वादी अपनी मोटरसाइकिल से बिजनौर स्थित अपने मालिक भूपेंद्र पुत्र भोपाल सिंह के गोदाम पर पहुंच गया। कुछ देर बाद उक्त युवक अपने दो साथियों के साथ वहां आया और उन तीनों मे से एक लडके ने वादी को जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर कर दिया, जिससे वादी के बाएं हाथ के पन्जे में गोली लग गई। फायर करने के बाद तीनों आरोपी बुलेट व एक अन्य मोटरसाइकिल से फरार हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 618/205 धारा 3(5)/109(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.हरिओम पुत्र कैलाश नि0 ग्राम गजरौला अचपल थाना को0शहर जनपद बिजनौर 2.दीपक पुत्र यादराम 3.विशाल पुत्र सुरेश निवासीगण ग्राम हमीदपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये। अभियोग में धारा 115(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 22.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.हरिओम पुत्र कैलाश निवासी ग्राम गजरौला अचपल थाना को0शहर बिजनौर 2.दीपक पुत्र यादराम निवासी ग्राम हमीदपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दीपक से एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा व एक खोखा

कारतूस 315 बोर बरामद किये तथा घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल (यूपी20बीएन7209) को भी बरामद किया गया। शस्त्र बरामदगी के संबंध में अभियुक्त दीपक के विरूद्ध अभियोग में धारा 3/25/27 की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्त विशाल उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.हरिओम पुत्र कैलाश निवासी ग्राम गजरौला अचपल थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.दीपक पुत्र यादराम निवासी ग्राम हमीदपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1– एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।

2– घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल (यूपी20बीएन7209)

आपराधिक इतिहास–

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 79/16 धारा 409 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 80/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 618/25 धारा 109(1)/3(5)/351(2)/115(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हरिओम उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 618/25 धारा 109(1)/3(5)/351(2)/115(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 603 आदेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 1084 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी 1767 विवेक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

5.आरक्षी 1643 अक्षय थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर **दिनॉक 22.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने 12 वर्ष से लापता व्यक्ति को उनके परिजनों के सुपुर्द किया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.07.2025 को विरेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान लुहारपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पुलिस को सूचना दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति ग्राम लुहारपुरा के जंगल में घूम रहा है। सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस मौके पर पहुॅची, संदिग्ध व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम हरदेव पुत्र हरनारायण निवासी ग्राम घुगहिया थाना गुन्नौर जनपद सम्भल बताया, जो देखने से मानसिक रूप से कमजोर लग रहा है।

स्थानीय पुलिस द्वारा ग्राम घुगहिया में युवक के परिजनों से सम्पर्क कर उन्हे अवगत कराया गया। युवक के परिजनों ने बताया कि हरदेव उपरोक्त अपने घर से करीब 12 वर्ष से लापता है। हरदेव उपरोक्त के परिजन 1.राजेश पुत्र विद्याराम (दादा) 2.पप्पू पुत्र बाबू उर्फ हरनारायण (भाई) निवासीगण ग्राम घुगहिया थाना गुनौर जनपद सम्भल थाना चांदपुर पर उपस्थित आये। थाना चांदपुर पुलिस द्वारा हरदेव उपरोक्त को उसके परिजन भाई पप्पू व दादा राजेश के सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा पुलिस की भूरी–भूरी प्रशंसा की गयी।

नाम व पता–

1. हरदेव पुत्र हरनारायण निवासी ग्राम घुगहिया थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

पुलिस टीम–

1. उ0नि0 हिमांशु कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 505 मंजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 2309 कृष्णकान्त दूबे थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. आरक्षी 54 सचिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी 1648 अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना किरतपुर दिनॉक 22.07.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 196/25 धारा 74/78/126(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.07.2025 को वादी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 17.07.2025 को अभियुक्तगण 1.फेसल पुत्र फुरकान 2.गुलबाज पुत्र अब्दुल सलाम 3.याशर पुत्र रिजवान निवासीगण ग्राम मुगलबेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को अश्लील इशारे किये तथा रास्ता रोककर जबरन छेडछाड की। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 196/25 धारा 74/78/126(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 19.07.2025 को अभियोग से संबंधित अभियुक्त फैसल पुत्र फुरकान को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही–

आज दिनांक 22.07.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त याशर पुत्र रिजवान निवासी ग्राम मुगलबेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. याशर पुत्र रिजवान निवासी ग्राम मुगलबेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. एक बाल अपचारी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री रवेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी 618 सन्नीराज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.मुख्य आरक्षी 270 अनुराग थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना मण्डावर **दिनॉक 22.07.2025**

थाना मण्डावर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 153/25 धारा 191(2)/333/115(2)/352/351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.07.2025 को वादी इमाद पुत्र फुरकान नि0 मौ0 मिर्दगान थाना मण्डावर बिजनौर ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान के अन्दर घुसकर वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 191(2)/333/115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम 1.समीर पुत्र पप्पू नि0 मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर 2.शामीर पुत्र नामालूम 3.उबैद पुत्र नामालूम 4.दो तीन व्यक्ति अज्ञात के विरुद्व पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त सोनू पुत्र नूरहसन नि0 मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 22.07.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त सोनू पुत्र नूरहसन नि0 मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. सोनू पुत्र नूरहसन नि0 मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 रामअवतार सिंह थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 511 अश्वनी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।